<u>जन सूचना के अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देश</u>

भारत के राजपत्र भाग-IV में नाम सुधार/लिंग परिवर्तन , नाबालिग के गोद लेने को रद्द करने पुर्नविवाह करने पर बच्चों तथा पिता का नाम परिवर्तन करने इत्यादि के सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के लिए सूचना ।

भारत के राजपत्र भाग-IV में जन सूचना के विज्ञापन के प्रकाशन लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है-

- **(i)** आवेदक द्वारा विधिवत स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र
- **(ii)** समाचार पत्र की मूल प्रति
- **(iii)** आवेदक के विधिवत हस्ताक्षर करके तथा निर्धारित स्थान पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त विधिवत टाइप किया गये निर्धारित प्रोफार्मो की दो प्रतियॉ ।
- **(iv)** एम एस वर्ड में बिना साक्षी भाग की मुद्रित सामाग्री समाविष्ट सी. डी.
- **(v)** स्व सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकापी (स्व सत्यापित)
- **(vi)** आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी की विषय सूची समान है ।
- **(vii)** अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ।

वह अध्यापक जो भारत के राजपत्र भाग-IV में सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन को प्रकाशित करना चाहता/चाहती है, उसे इस प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा ।

1. विज्ञापन की सामग्री किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए जिसमें केस का सारा ब्यौरा दिया गया हो ।

2. आवेदक को विधिवत हस्ताक्षरित शपथ पत्र देना होगा जिसमें उसके आवासीय पते सहित उसका सही तथा गलत नाम उसके पिता/पति का आवसीय पते सहित पूरा ब्यौरा दिया हो साथ ही यह भी विवरण दिया हो कि इनमें दिए तथ्य सत्य है तथा उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सत्य है तथा उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सत्य है ।

3. कृपया संलग्न नमूने में निर्धारित अनुसार, सभी तरह से पूर्ण मुद्रण सामग्री को अलग से सादें कागज पर टाइप कराकर तथा उस पर नाबालिग के अभिभावक से हस्ताक्षर करके तथा दो साक्षियों से हस्ताक्षर कराकर दो प्रतियों में साफ्ट प्रति के साथ (एम एस वर्ड में सी डी) भेजें । प्रपत्र कम्प्यूटर से टाइप होना चाहिए।

4. आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित 02 पासपोर्ट आकार की फोटो तथा आई डी प्रूफ की फोटोप्रति इन दोनों को स्वयं सत्यापित करके पासपोर्ट आकार की स्वय सत्यापित 02 फोटो जमा करायें ।

5. नाम परिवर्तन के प्रकाशन का दिनांक 01-04-16 से 31-03-17 तक का मुद्रण शुल्क रू 1400/- है । यह राशि नियंत्रक प्रकाशन, दिल्ली के नाम से अग्रिम रूप से नकद या डिमांड ड्राफ्ट/इंडियन पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करनी होगी । यदि आवेदनकर्ता स्वयं आता/आती है तो मुद्रण राशि उपरोक्त दस्तावेजों के साथ इस विभाग में नकद जमा की जा सकती है । आवेदनकर्ता से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी राजपत्र की प्रति हमारी वेबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर लें क्योंकि दिनांक 30-09-15 के भारत के राजपत्र सं० 602 असाधारण भाग-II, खंड 3 उप खंड (i) के तहत दिनांक 01-10-15 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध होगा ।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए
चरण 1 : राजपत्र खोजें
चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्राहिक राजपत्र
चरण 3 : चुनिंदा भाग और खंड में – भाग-IV
चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)
चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फाईल डाउनलोड करें ।
चरण 6 : अपना नाम (पुराना)/नया) खोजों के लिए कट्रोल + एफ कुंजी को दबायें ।
चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazette) डाउनलोड करें । इसे विभाग द्वारा सत्यापित

कराने की आवश्यकता नहीं है

ध्यान दें :-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

6. मुद्रण प्रभारों सहित पूर्वोक्त सभी काग़जात प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को संबोधित अग्रेषण पत्र के साथ इस विभाग को डाक द्वारा अथवा स्वयं भी आकर स्वंसत्यापित फोटो आई डी प्रूफ के साथ जमा किए जा सकते हैं । काग़जात एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

7. इस विभाग में जमा कराये गए काग़जात मूल अथवा फोटो प्रति किसी भी स्थिति में वापिस नहीं की जाएंगी |

8. इस विषय मे विभाग में सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाहन 10:00 बजे से 1:00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा |

9. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आई डी प्रूफ की स्वहस्ताक्षरित फोटो भेजे । स्वयं आकर जमा किए गए अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे । ऐजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे ।

10. आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगीकि हार्ड प्रति तथा साफ्ट प्रति में निहित विषयवस्त एक समान है । साथ ही उसे शपथ भी लेनी होगी कि आवेदन किसी भी असंगति अथवा पारावहन हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।

11. सभी प्रकार से ठीक भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदनको संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करनेके लिए भेज दिया जाएगा ।

12. संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।

13. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामाग्री के अस्वीकार कर सकता है ।

प्रकाशन नियंत्रक

नाम सुधार के लिए नमूना प्रपत्र (सार्वजनिक सूचना)

(विधिवत टाइप किया हुआ अथवा कम्प्यूटीकृत प्रिन्ट (2 प्रतियों में) तथा एम एस वर्ड में एक सी डी जमा करायें)

सार्वजनिक सूचना

जन साधारण को यह सूचित किय जाता है मैं..
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...
निवासी...
एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा /मेरे पिता/मेरी माता/मेरा पुत्र/पुत्री/पत्नी/मेरे पति का नाम मेरी पुत्री/पुत्र केशैक्षिक दस्तावेजों में गलती से..
लिखा गया है । मेरे/मेरे पिता/मेरी माता/मेरे पति/मेरी पत्नी/मेरे पुत्र/ मेरी पुत्री का वास्तविक नाम क्रमश:..है जिसे तदनुसार संशोधित किया जाएं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है ।

(आवेदक का नाम)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

साक्षी सं. **1.**

हस्ताक्षर...पूरा नाम..

पता...

....

मोबाइल/दूरभाष नं0..

साक्षी सं. **2.**

हस्ताक्षर.......................................पूरा नाम...

पता...

....

मोबाइल/दूरभाष नं0..